भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *188

02 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात निर्यात

***188. श्री गौरव गोगोई:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान इस्पात निर्यात में 50.2% (वर्ष-दर-वर्ष) की तीव्र गिरावट को दूर करने के लिए सरकार की पहलों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस्पात उद्योगों में शुद्ध-शून्य की ओर परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए विघटनकारी वैकल्पिक प्रौद्योगिकीय नवाचारों को शुरू करने हेतु सरकार की पहलों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर भारत की अत्यधिक निर्भरता, जिसके कारण भारी खर्च आता है और लागत बढ़ जाती है, को ध्यान में रखते हुए, समकालीन अनुसंधान अध्ययनों और प्रौद्योगिकियों के लिए सरकार की पहलों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्माण में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)**

(क) से (घ): एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

****

"इस्पात निर्यात" के संबंध में श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *188 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) तैयार इस्पात के तिमाही-वार निर्यात का विश्लेषण दर्शाता है कि वर्ष 2022–23 के दौरान तैयार इस्पात के निर्यात में 50.2% की गिरावट का एक कारण इस्पात की बढ़ी हुई खपत तथा उस समय की मौजूदा मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए मई-नवंबर 2022 के दौरान लगाया गया निर्यात शुल्क था।

तैयार इस्पात के तिमाही-वार निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:

(हजार टन में)

समयावधि	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**
प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून)	3556	2191	2050
द्वितीय तिमाही (जुलाई-सितंबर)	4197	1411	-
तृतीय तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर)	2575	1140	-
चतुर्थ तिमाही (जनवरी-मार्च)	3166	1975	-
कुल	13494	6717	2050

इस्पात का निर्यात वैश्विक मांग और आपूर्ति परिस्थितियों, प्रचलित बाजार मूल्यों पर निर्भर करता है जिसकी सरकार निगरानी करती है और उचित कदम उठाती है। सरकार ने प्रतिस्पर्धी इस्पात निर्माण के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. नवंबर 2022 में कतिपय इस्पात उत्पादों पर से निर्यात शुल्क को हटाया गया, जो मई 2022 में लगाया गया था।
ii. लौह अयस्क के उत्पादन/उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खनन एवं खनिज नीति में सुधार।
iii. नॉन-अलॉय, अलॉय एवं स्टेनलेस के सेमीज, फ्लैट एवं लॉंग उत्पादों पर आधारभूत सीमा शुल्क को एक समान रूप से 7.5 प्रतिशत तक कम करना।

iv. इस्पात क्षेत्र में इन्वर्टेड शुल्क संरचना (Inverted duty structure) के मामलों को समाप्त करना।

(ख) और (ग) सरकार (क) ऊर्जा तथा संसाधन दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर अल्पावधि लक्ष्यों (वित्त वर्ष 2030 तक), (ख) हरित हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण के माध्यम से बल देने वाले मध्यावधि लक्ष्यों (2030-47); और (ग) परिवर्तनकारी वैकल्पिक प्रौद्योगिकी नवाचार के माध्यम से दीर्घावधि लक्ष्यों (2047-70) के साथ वर्ष 2070 तक इस्पात क्षेत्र में निवल-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हितधारकों से बातचीत कर रही है।

वैकल्पिक प्रौद्योगिकी नवाचारों को शुरू करने तथा समकालीन अनुसंधान अध्ययनों और प्रौद्योगिकियों हेतु योजनाओं के लिए सरकार की पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

i. आईआईटी और सीएसआईआर जैसे संगठनों द्वारा उपयोग की जा रही कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (सीसीयूएस) प्रौद्योगिकियों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) परियोजनाओं का वित्तपोषण और नीति आयोग के साथ समन्वय करना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार 13 देशों के साथ भागीदारी करते हुए मिशन इनोवेशन अम्ब्रेला के अंतर्गत सीसीयूएस के क्षेत्र में 19 आरएंडडी परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है।
ii. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत लौह एवं इस्पात निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हुए प्रायोगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करना।

(घ) सरकार ने निर्माण, आवासन तथा अवसंरचना क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए है:

i. एमएनआईटी जयपुर एवं एसपीए भोपाल द्वारा सेल, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, एएम/एनएस एवं जेएसपीएल के सहयोग से आवासन क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के एक भाग के रूप में स्टील स्ट्रक्चरल का उपयोग करते हुए आंगनबाड़ी एवं घरों की डिजाइन के विकास को सहायता प्रदान करने के लिए आरएंडडी परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
ii. तेल एवं गैस क्षेत्र में इस्पात की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए इस्पात मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक समिति का गठन करना।

iii. इस्पात प्रधान डिजाइनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), आईआईटी/एनआईटी जैसे तकनीकी संस्थानों तथा उद्योग के सद्स्यों के साथ इस्पात मंत्रालय एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के संयुक्त कार्यशील समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया जाना; जिसमें आईआईटी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय लाँग स्पैन रोड़ ब्रिजों के लिए इस्पात आधारित डिजाइन उपलब्ध कराते है।

iv. जानकारी साझा करने वाले कार्यक्रमों के लिए जापान के अर्थव्यवस्था, कारोबार एवं उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) के समन्वय से वार्षिक आधार पर संयुक्त कार्यशालाओं का आयोजन

****